

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक:-
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (शि0) सरायकेला-खरसावाँ / PDS-24 / 2022- 708

हिमांशु शेखर चौधरी

अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

सरायकेला-खरसावाँ जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

राँची, दिनांक :- 02/09/2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सरायकेला-खरसावाँ जिले में PMGKAY (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के तहत माह जून, जुलाई एवं अगस्त, 2022 का अनाज वितरण नहीं किये जाने सम्बन्धी परिवाद-पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस सम्बन्ध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से पूछे जाने पर FCI द्वारा अनाज उपलब्ध नहीं कराये जाने की बात कही गई।

प्राप्त उक्त के मामले में आयोग के पत्रांक-683 दिनांक-17.08.2022 द्वारा अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ से परिवाद-पत्र में उल्लेखित FCI से चावल प्राप्त नहीं होने के आरोप के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-1696 दिनांक-20.08.2022 एवं पत्रांक-1725 दिनांक-24.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया। पुनः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-1358 दिनांक-25.08.2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनाज उठाव का भी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार-

योजना-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

क्रमांक	माह	भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त हेतु आवंटन (क्वींटल में)	भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा (क्वींटल में)	डीलरों को निर्गत की गई खाद्यान्न की मात्रा (क्वींटल में)
1	जून, 2022	40169.98000	23495.73400	23446.75000
2	जुलाई, 2022	41016.96000	41016.96000	18140.09000
3	अगस्त, 2022	41485.86000	17954.89600	217.40000

योजना-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

क्रमांक	माह	भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त हेतु आवंटन (क्वींटल में)	भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा (क्वींटल में)	डीलरों को निर्गत की गई खाद्यान्न की मात्रा (क्वींटल में)
1	अगस्त, 2022	44612.81000	13807.26615	31127.71000

प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अब तक माह जून, 2022 के कुल आवंटन 40169.98 क्वींटल के विरुद्ध मात्र 23495.734 क्वींटल अनाज ही FCI द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसे डीलरों को निर्गत किया गया है।

जुलाई, 2022 में 41016.96 क्वींटल आवंटन के विरुद्ध FCI से अनाज तो प्राप्त हो चुका है, परंतु इसमें से मात्र 18140.09 क्वींटल अनाज राशन डीलरों को निर्गत किया गया है। साथ ही वर्तमान में अगस्त माह समाप्ति की ओर है, परन्तु अभी तक अगस्त, 2022 हेतु कुल आवंटन अनाज 41485.86 क्वींटल के विरुद्ध FCI से मात्र 17954.89 क्वींटल अनाज प्राप्त हुआ है, जिसमें से अब तक 217.40 क्वींटल अनाज राशन डीलरों को निर्गत किया गया है। अगस्त माह के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आवंटन के मामले में भी 13485 क्वींटल अनाज का FCI से अब तक उठाव नहीं हुआ है।

यह स्थिति चिंताजनक है। स्पष्ट है कि विगत तीन माह से सरायकेला-खरसावाँ के काफी लाभुक ससमय अनाज पाने से वंचित हो रहे हैं। अगस्त माह समाप्त होने को है एवं अगस्त माह के PMGKAY के 1 % से भी कम अनाज डीलर तक पहुँच पाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनाज के डीलर तक पहुँचने की स्थिति भी बहुत ही खराब है। अगस्त माह का अनाज जो जुलाई माह के अंत तक डीलर के पास पहुँच जाना चाहिए था, अगस्त माह के अंतिम समय पर भी अधूरा है। जून माह के PMGKAY का लगभग 40 % अनाज तो अब तक डीलर के पास पहुँच नहीं सका है।

यह स्थिति अत्यंत गंभीर एवं खेदजनक है। आवश्यक है कि जो भी कर्मी/पदाधिकारी इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुरोध है कि तुरंत हस्तक्षेप कर सभी बकाया अनाज का उठाव करवाया जाए, ताकि लाभुकों को उनके अहर्ता के अनुरूप अनाज शीघ्र मिल सके। अन्य जिलों के सम्बन्ध में अनाज उठाव की समीक्षा करने की कृपा की जाए, ताकि कोई अन्य जिला भी सरायकेला-खरसावाँ की स्थिति में न आने पाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हिमांशु शंखर चौधरी)

अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।